सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग - 4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
लखनऊ, बुधवार, 22 सितम्बर, 2010
भाद्रपद 31, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
सर्तकता अनुभाग-4
संख्या-2339/39-4-2010-21-05
लखनऊ, 22 सितम्बर 2010

अधिसूचना

प0आ0-597

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के सर्तकता विभाग के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान एक ऐसा संगठन है जो अभिसूचना संकलित करने, दाण्डिक अपराधों की विवेचना करने और समुचित न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने का कार्य करता है, जिसके लिये शीर्ष गोपनीयता एवं पूर्वावधानियां आवश्यक हैं और ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक स्तर पर विवेचना के स्तरों तथा अभियोजन के स्तरों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना दिये जाने से विवेचना की प्रक्रिया एवं अपराधियों के अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा:

और, चूँकि, उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश सरकार के सर्तकता विभाग के अधीन सीधे कार्य करता है:

अतएव अब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सर्तकता विभाग तथा उसके संगठन अर्थात् सतर्कता अधिष्ठान पर उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।